न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद–10 / 2020

नुरूल हुदा.....वादी

बनाम

फरहत हुसैन उर्फ हसना वगैरह.....प्रतिवादीगण

08.04.25 अभिलेख आज प्रतिवादी सं0–2, 4 ता 7, 9, 13 ता 15 एवं 18 ता 20 की ओर से एकपक्षीय आदेश दिनांक–27.02.2023 को वापस लेने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–10.04.2023 तथा उसके तत्संबंधित वादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–03.07.2023 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में प्रतिवादी ने यह निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण गरीब अदमी है जो बाहर कोलकाता एवं अन्य जगहों पर रहकर मजदूरी कर अपना जीवनयापन करते हैं तथा रमजान के महीने में जब प्रतिवादीगण घर आए तो प्रतिवादी सं0–1 फरहत हुसैन से वर्तमान वाद की जानकारी मिली कि दिनांक–27.02.2023 को उनके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई आदेश पारित हो गया है जबकि वादी को शुरू से ही प्रतिवादीगण के बारे में जानकारी रहती आयी, परन्तु जानबूझकर इसका उल्लेख अपने वादपत्र नहीं किया और प्रतिवादी सं0–1 जो वादी के मेली हैं, को हाजिर कराकर अपने पक्ष में व्यान तहरीर दाखिल कराया गया और एकपक्ष्जीय सुनवाई आदेश पारित करवा लिया गया जिससे उक्त प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति हुई है। प्रतिवादीगण वाद में सघर्ष करने को तैयार हैं। अतः निवेदन है कि एकपक्षीय सुनवाई आदेश दिनांक–27.02.2023 को वापस लेते हुए प्रार्थी को वाद में संघर्ष करने देने की कृपा प्रदान की जाए।

उपरोक्त आवेदन के प्रत्युत्तर में वादी ने प्रतिवादीगण के आवेदन का विरोध करते हुए निवेदन किया है कि प्रतिवादी को आवेदन दाखिल करने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है और वाद को जानबूझकर वादी को नुकसान पहुँचाने के दृष्टि से विलंब से दाखिल किया गया है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण का आवेदन खर्चा हित खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में प्रतिवादी सं0–1 उपस्थित हुए तथा शेष अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध वर्तमान वाद की कार्रवाई न्यायालय आदेश दिनांक–27.02.2023 के द्वारा एकपक्षीय अग्रसारित हुआ वर्तमान वाद में शेष प्रतिवादीगण आवश्यक पक्षकार प्रतीत होते हैं। अतः शेष प्रतिवादीगण का हित वर्तमान वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन से प्रभावित होगा और उनको वाद में संघर्ष करने का एक अवसर प्रदान किया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक है। जहाँ तक उनको आवेदन विलंब से दाखिल करने का प्रश्न है तो उनके संदर्भ में अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद दिनांक–27.02.2023 को उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। उन्होंने उपरोक्त आवेदन दाखिल किया है जो विलंब से है एवं विचारणीय है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि शेष प्रतिवादीगण द्वारा अपनी अनुपसंजाति के संबंध में किया गया निवेदन दुराशयपूर्ण है, अपितु वाद के आवश्यक पक्षकार होने के नाते वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन में उनके द्वारा दाखिल आवेदन को स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। अतएव उनके द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन मो0 3000 / – रुपये खर्च की राशि वादी को अदा किए जाने की शर्त पर स्वीकृत की जाती है। तद्नुसार आदेश दिनांक–27.02.2023 को वापस लेते हुए उनको वाद में संघर्ष करने का एक अवसर प्रदान किया जाता है तथा अभिलेख को पुनः धारा–89 सी0पी0सी0 की सुनवाई हेतु नियत किया जाता है।

अभिलेख दिनांक– 09-06-2025 वास्ते धारा–89 सी0पी0सी0 की सुनवाई हेतु।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।